न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पील संख्या : 17/584

1. किसन प्यारी आयु 66 वर्ष बेवा कस्तूरा जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. रामदेव उर्फ दौलत आयु 36 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. रामहेत आयु 33 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. मनोज आयु 28 वर्ष आत्मज कस्तूरा जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. भूरी बाई पुत्री बजरंगा आयु 56 वर्ष पत्नी बिरधीलाल जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी राजस्थान हाल मुकाम ग्राम धोवडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. रमेश आयु 36 वर्ष आत्मज मोती जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनबा जिला बून्दी ।
3. रघुनन्दन आयु 26 वर्ष आत्मज मोती जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
4. भंवरी बाई आुय 47 वर्ष बेवा मोती जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. बदरी आयु 46 वर्ष आत्मज मांग्या जाति नाई निवीास मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
6. लेखराज आयु 26 वर्ष आत्मज मांग्या जाति नाई निवासी मंरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश कहार, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री ओम प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 53 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम फतेहपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी में जमाबन्दी संख्या नई 90 की आराजी खसरा नम्बर 276 की रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि है जिसमें वादीगण का हिस्सा 1/3 एवं प्रतिवादी भूरी बाई का हिस्सा 1/6 व प्रतिवादीगण रमेश, रघुनन्दन व भंवरी बाई का हिस 1/6 है तथा प्रतिवादीगण क्रम 5

उपखण्ड अधिकारी नैनवा

6 बदरी व लेखराज पिसरान मांग्या का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है । उक्त भूमि का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर वादीगण का हिस्सा 1/3 वादीगण के खाते में पृथक से दर्ज किया जावे तथा वादीगण का हिस्सा उत्तर से दक्षिण बंटवारे से किया जावे यानि उत्तर में रोड रखा जाकर किया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 30.05.2016 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की तथा तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने का आदेश पारित किया ।

5. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.06.2017 के द्वारा पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार की गई विभाजन रिपोर्ट पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा ही गलत कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट को अपने हिस्से की भूमि पर जाने के लिए आम सडक की ओर से बराबर 1/3 हिस्सा होना चाहिए।ऐसा नहीं होने के कारण उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि तहसीलदार नैनवा से पुनः विभाजन रिपोर्ट तैयार कर पक्षकारों को सुनवाई के बाद पुनः अंतिम डिक्री पारित करें ।

7. उक्त अपील दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री की अपील पेश की है । प्राथमिक डिक्री की पालना में जो रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का हिस्सा गलत दर्ज किया गया है, विभाजन भी नहीं किया गया है । सडक की ओर से बराबर 1/3 हिस्सा अपीलान्ट को मिलना चाहिए जो नहीं दिया गया है । नक्शा मौका गलत बनाया गया है । अपीलान्ट को कोई भी भूमि नहीं दी गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त फरमायी जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रारम्भिक डिक्री अनुपालना में बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर विधि सम्मत रूप से अंतिम डिक्री जारी की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 बहाल रखी जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.05.2016 को विभाजन की प्राथमिक

उपखण्ड अधिकारी नैनवा

की जारी की गई है और दिनांक 28.06.2017 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की गई है । प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार वादग्रस्त आराजी में वादीगण अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा निहित है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री जारी करने से पूर्व जो बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किये गये हैं हमने उनका अवलोकन किया । बंटवारा प्रस्ताव पटवारी हल्का पटवार मण्डल मरां द्वारा तैयार किया गया है । यद्यपि उनके द्वारा पहले बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार को प्रेषित किये गये हैं उनमें तहसीलदार के हस्ताक्षर हैं पर तहसीलदार स्वयं मौके पर गये हों ऐसा बंटवारा रिपोर्ट से साबित नहीं होता है । बंटवारा प्रस्ताव पर मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में हस्ताक्षर भी नहीं हैं और बंटवारा प्रस्ताव पर अधीनस्थ न्यायालय ने आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया है । इस प्रकार बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है जो आवश्यक है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव अंतिम डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

11. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 28.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि तहसीलदार नैनवा से राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना में पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त करें । बंटवारा प्रस्ताव पर पक्षकारों को सुनवाई एवं आपत्ति प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14.8.18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

उपखण्ड अधिकारी महोदय